न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 155/2022

1. हंसराज पुत्र स्व. भजनलाल उर्फ रामभजन जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल
2. श्योजीराम पुत्र स्व. भजनलाल उर्फ रामभजन जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल
3. प्रकाश बाई पुत्री स्व. भजनलाल उर्फ रामभजन पत्नी कालूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया बडौद तहसील मांगरोल
4. राजकांता पुत्री स्व. भजनलाल उर्फ रामभजन पत्नी नन्दलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरिया जिला बारां
5. कमलेश पुत्री स्व. भजनलाल उर्फ रामभजन पत्नी शिशुपाल जाति मीणा निवासी खेडीजागीर बारां
6. प्रमिला पुत्री स्व. भजनलाल उर्फ रामभजन पत्नी तोलाराम जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. फूफा बाई बेवा स्व. भजनलाल उर्फ रामभजन जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल

......वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 03.10.2022 निर्णय दिनांक : 11.02.2023

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के पिता की आराजी खाता संख्या 106 खसरा नं0 299 रकबा 4.21 है0 वाके ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल एवं शामलाती आराजी खाता संख्या 309 खसरा नं0 340 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 440 रकबा 1.58 है0, खसरा नं0 457 रकबा 0.83 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 वाके ग्राम पाडलिया तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता का नाम रामभजन पुत्र गुडक्या दर्ज हो रहा है। जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम भजनलाल है। जिसको वादीगण रामभजन के स्थान पर भजनलाल दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में भजनलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए वादीगण अपने पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में रामभजन के स्थान पर रामभजन उर्फ भजनलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम रामभजन के स्थान पर रामभजन उर्फ भजनलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1621 दिनांक 07.12.2022 के अनुसार ग्राम पाड़लिया के खाता संख्या 309 किता 3 रकबा 3.28 है0 में वादीगण के पिता/पति का नाम रामभजन पुत्र गुडक्या जाति मीणा हिस्सा 1/2 निवासी हिंगोनिया व ग्राम हिंगोनिया के खाता संख्या 109 में खसरा संख्या 299 रकबा 4.21 है0 में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम रामभजन पुत्र गुडक्या

Scanned by CamScanner

जाति मीणा सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा मृतक खातेदार रामभजन पुत्र गुडक्या के प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में मृतक खातेदार का नाम भजनलाल पुत्र गुडकीलाल मीणा दर्ज है एवं ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी अनुसार भी मृत्क खातेदार का नाम भजनलाल पुत्र गुडकीलाल मीणा ही है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता/पति का सही नाम रामभजन उर्फ भजनलाल पुत्र गुडक्या उर्फ गुड़कीलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादी श्योजीराम व कमलेश कुमारी के आधार पर आराजी खाता संख्या 106 खसरा नं0 299 रकबा 4.21 है0 वाके ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल एवं शामलाती आराजी खाता संख्या 309 खसरा नं0 340 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 440 रकबा 1.58 है0, खसरा नं0 457 रकबा 0.83 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 वाके ग्राम पाडलिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादीगण के पिता/पति का नाम रामभजन पुत्र गुडक्या के स्थान पर रामभजन उर्फ भजनलाल पुत्र गुडक्या उर्फ गुड़कीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादीगण के पिता/पति के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner